



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 11 अगस्त, 2016

श्रावण 20, 1938 शक सम्वत

उत्तर प्रदेश शासन

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-5

संख्या-1348/14-5-2016-15/2016

लखनऊ, 11 अगस्त, 2016

अधिसूचना

प०आ०-446

जैवविविधता अधिनियम, 2002 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2003), की धारा-37 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के परामर्श से अधिसूचित करते हैं कि नीचे अनुसूची में विस्तृत रूप से वर्णित "घड़ियाल पुनर्वास केन्द्र, कुकरैल, लखनऊ", आरक्षित वन को उत्तर प्रदेश राज्य का जैवविविधता विरासतीय स्थल के रूप में परिरक्षित रखा जायेगा :-

अनुसूची

क्रम संख्या	नाम	स्थान	क्षेत्रफल
1	2	3	4
1	घड़ियाल पुनर्वास केन्द्र	कुकरैल, लखनऊ	10 हे० (आरक्षित वन)
2	सीमा, 1250 रनिंग मी०	उ०- कुकरैल जंगल द०- कुकरैल जंगल पू०- कुकरैल जंगल प०- कुकरैल नाला	

